

मदारी का 'जमूरा' बनाने के लिए बच्चों का अपहरण करने वाली गैंग गिरफ्तार

जी.आर.पी. पुलिस ने खानाबदोश परिवार के 5 लोगों को गिरफ्तार किया

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । राजकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) और जयपुर पुलिस की टीम ने मंगलवार को एक ऐसे खानाबदोश परिवार को धरदबोचा, जो बच्चों का अपहरण करता था। इस परिवार से पुलिस ने दो बच्चों को दस्तावेज किया है। इनमें एक बच्चा 10 दिन पहले कोटा रेलवे स्टेशन से अपहरण किया गया था। जबकि दूसरे बच्चे का 10 वर्ष पहले गंगापुरसिटी रेलवे स्टेशन से अपहरण हुआ था।

एडीजी अनिल पालीवाल ने बताया कि पूछताछ में आरोपी परिवार ने बताया कि पहले उनका मूल काम मदारी का था और जानवरों पर प्रबंध लगाने के बाद वह बच्चों को जमूरा (करतब दिखाने)

- इस गैंग ने 10 दिन पहले कोटा रेलवे स्टेशन से 4 वर्षीय बच्चे का अपहरण किया था, जबकि दूसरे बच्चे को 10 साल पहले गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन से उठाया था
- पुलिस ने आशंका जताई है कि यह बदमाश, बच्चों को दवाइयां देकर उसकी दिमागी हालत कमजोर करते हैं, फिर तमाशे के लिए उसका जानवरों की तरह इस्तेमाल करते हैं

बनाकर खेल दिखाते हैं। कोटा रेलवे स्टेशन से बच्चे का अपहरण जमूरा बनाने के लिए किया था। मूलतः हरियाणा के भिवाली हला किसानबाग झुग्गी झोपड़ी निवासी प्रेम सिंगीवाल (65) उसकी

मास्टर माइंड मुकेश मदारी है। वह परिवार के साथ किशनगढ़ (अजमेर) में एक शादी समारोह में परिवार के साथ बर्तन साफ करने के लिए गया था। वहां से 5 मई की सुबह 11 बजे अपना मोबाइल मां लज्जो को देकर चमड़ा घर से एक बाइक चोरी कर भाई करण के साथ शाम तक कोटा पहुंच गया। कोटा रेलवे स्टेशन पर बच्चे के पिता उसे अकेले बैठाकर टिकट लेने चले गए, तभी आरोपी बच्चे को उठाकर ले गए। जीआरपी कोटा के वृत्ताधिकारी चांदमल के नेतृत्व में 5 टीमें बनाई गईं। बच्चे की तलाश में 280 किलोमीटर क्षेत्र में 470 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। तब जाकर अपहरणकर्ताओं का सुराग लगा और

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी मुकेश बच्चे को पहले भोपाल में अपने ससुराल ले गया, लेकिन ससुराल वालों ने अपहृत बच्चे को रखने से मना कर दिया, तब वह भोपाल से ट्रेन में जयपुर पहुंचा था। एस.पी. जोशी ने बताया कि आरोपियों से 10 वर्ष पहले अपहृत बच्चे का उसके परिवार से डीएनए करवाया जाएगा। इसके बाद बच्चा उनके सुपुर्द किया जाएगा। वह बच्चा मंदबुद्धि है। आशंका है कि अपहरण करने के बाद बच्चे की दिमागी हालत कमजोर करने के लिए उसे दवाइयां दी गई है। यह भी आशंका है कि गैंग बच्चों से चोरी करवाने का काम करती है। पुलिस उनसे और पूछताछ कर रही है।

नई शिक्षा नीति को सभी विश्वविद्यालयों में पूरी तरह से लागू किया जाएगा : मिश्र



राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में कुलपति समन्वय समिति की बैठक को संबोधित किया।

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में रोजगारोन्मुखी कौशल विकास समावेशी कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थानीय उद्योगों एवं विश्वविद्यालय सहभागिता से रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने विश्वविद्यालयों में शोध एवं अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सभी विश्वविद्यालयों में पूरी तरह से लागू किया जाए।

मिश्र मंगलवार को राजभवन में कुलपति समन्वय समिति की बैठक में संबोधित कर रहे थे। बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभा सिंह, सामाजिक न्याय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यपाल ने बैठक में कहा कि विश्वविद्यालयों में बायोमेट्रिक/मोबाइल एप आधारित उपस्थिति की व्यवस्था 30 मई तक सभी विश्वविद्यालयों में तयतया

से लागू की जाएगी। चरणबद्ध रूप से यह व्यवस्था विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में भी लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी नवगठित विश्वविद्यालयों में संपत्तियों, दायित्वों, भूमि, पैसा तथा अन्य मुद्दों के लिए कमेटी का गठन कर कार्य किया जाएगा। इसमें संबंधित जिला कलेक्टर भी सम्मिलित होंगे ताकि नए विश्वविद्यालयों से जुड़े मुद्दों का प्रभावी समाधान समय पर हो सके। उन्होंने कहा कि सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय अब प्रत्येक विश्वविद्यालय पांच-पांच ग्राम गोद लेकर उनके विकास के लिए कार्य करेंगे।

राज्यपाल ने कुलपतियों से आग्रह किया कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक

में उच्च शिक्षा में नवाचार अपनाते हुए विद्यार्थियों में मौलिक शोध और अनुसंधान की दृष्टि विकसित करने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी यह प्रयास करें कि विश्वविद्यालयों में बहु विषयक और अंतर विषयक अनुसंधान और पठन-पाठन की दिशा में कार्य हो। हर विश्वविद्यालय में इनोवेशन सेंटर, इन्क्यूबेशन सेंटर, नवीन स्टार्टअप के लिए भी निरंतर कार्य हो।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक घरानों से विचार विमर्श कर कौशल विकास हेतु विश्वविद्यालय विशेष रूप से कार्य करें। बैठक में जिन विश्वविद्यालयों में सौर ऊर्जा उपकरण नहीं लगे हैं, वहां 30 जून तक कार्यवाही किए जाने के भी राज्यपाल ने निर्देश दिए।

दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हृदयांश को 17.50 करोड़ का इंजेक्शन लगाया

अमेरिका से जयपुर के जे.के. लोन हॉस्पिटल लाया गया इंजेक्शन

जयपुर। राजधानी के जे.के. लोन हॉस्पिटल में मंगलवार को 23 महीने के हृदयांश को अमेरिका से मंगवाया गया साढ़े सत्रह करोड़ रुपए का जोल गेनेस्मा इंजेक्शन लगाया गया। अस्पताल में रेयर डिजीज यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर प्रियांशु माथुर और उनकी टीम ने यह इंजेक्शन लगाया।

हृदयांश स्पाइल मस्क्युलर एट्रोफी (एसएमए) नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, जिसके इलाज के लिए इंजेक्शन की जरूरत थी। परिवार क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाने में लग था। डॉ. प्रियांशु माथुर ने बताया कि इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चा 24 घंटे डॉक्टर की निगरानी में रहेगा। इसके बाद दो महीने तक बच्चे को दवाइयां चलेगी। फिर वह आम लोगों की तरह जीवन यापन कर सकेगा। इंजेक्शन दोपहर दो बजे तक लगाया जाना था। लेकिन पेपर वर्क कंप्लीट होने में समय लगा।

जिसकी वजह से शाम करीब छह बजे यह इंजेक्शन बच्चे को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इंजेक्शन के जरिए बच्चे को साठ मिन्ट में दवा दी गई। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में यह दवा अब तक 3.5 सौ बच्चों को दी जा चुकी है और इसके बाद वे स्वस्थ हो गए। इस बीमारी से 99.5 प्रतिशत बच्चे बच चुके हैं। प्रारम्भिक तौर पर इस दवा का असर सात से दस दिन में होना शुरू हो जाता है।

दरअसल, हृदयांश का परिवार अलवर के मसारी का रहने वाला है। हृदयांश के पिता नरेश शर्मा मनिगा (बोलपुर) पुलिस थाने में एसएओ हैं। हृदयांश के माता-पिता नरेश शर्मा और शर्मा की शादी 7 साल पहले हुई थी। बेटी शुभी (6) के बाद हृदयांश के जन्म से पूरे परिवार में खुशी थी। सिजेरियन डिलीवरी से हृदयांश का जन्म हुआ था। जन्म के समय हृदयांश को किसी तरह की परेशानी नहीं थी। 6 महीने तक वह अपनी बाँटी का अच्छा मूवमेंट करता था। 6 महीने बाद जब परिवार

- जन्म के 6 महीने बाद से ही हृदयांश स्पाइल मस्क्युलर एट्रोफी (एसएमए) बीमारी से पीड़ित था
- इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे को 24 घंटे के लिये डॉक्टर की निगरानी में रखा गया, वहीं दो महीने तक उसकी दूसरी दवाइयां चलेगी।
- पुलिस महानिदेशक यू आर साहू और भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने इंजेक्शन के लिए राशि जुटाने में पूरे पुलिस परिवार से सहयोग की अपील की थी।

के लोगों ने किसी सहारे से खड़ा करने की कोशिश की तो वह खड़ा नहीं हो पाया था। इसके बाद बीमारी का पता चला था। उसके माता पिता जयपुर में रहकर इलाज करवा रहे थे।

सहयोग के लिये आभार जताया

इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर प्रियांशु माथुर ने बताया कि इस बीमारी के कारण मसल्स में कमजोरी आने लगती है। बच्चे को चलने-फिरने में परेशानी होती है। सांस रुकने की भी संभावना रहती है। पहले भी दो बच्चों को थैरेपी दे चुके हैं। अब बच्चे को 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। बच्चे के नाना नरेश कुंजब ने इस मुहिम में सभी का सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने भी बेठा समझकर हृदयांश की मदद की। उन्होंने कहा कि अब बच्चे के स्वस्थ होने की दुआ करें।

हृदयांश के चाचा स्वप्निल ने बताया कि इंजेक्शन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी ने भी हृदयांश के इलाज में काफी मदद की है। उन्होंने इंजेक्शन की 17.5 करोड़ रुपए की राशि को चार किश्तों में जमा कराने की छूट दी है। अब तक क्राउड फंडिंग से जमा हुए 9 करोड़ रुपए से इंजेक्शन की पहली किश्त जमा करा दी है। बाकी राशि को तीन किश्तों में एक साल में जमा कराया जाएगा।

पुलिस महानिदेशक यू आर साहू ने इंजेक्शन के लिए राशि जुटाने में पूरे पुलिस परिवार से सहयोग की अपील की थी। वहीं भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने भी राशि जुटाने के लिए पूरे प्रयास किए।

सांसद-विधायक भी आगे आए

भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को आर्थिक सहायता देने के लिए पत्र लिखा था। वहीं, राजस्थान सरकार में मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर इंजेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए कहा था। बयाना विधायक डॉ. ऋतु बनावत ने अपने विधायक कोष से हृदयांश के परिवार को 21 लाख रुपए देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा था।

क्रिकेटर सरफराज व चाहर जुड़े थे मुहिम से

इस बीमारी की वजह से हृदयांश घुटनों के बल चल भी नहीं पा रहा था। परिवार को पता चला कि 17.50 करोड़ के इंजेक्शन से बेटे का इलाज हो सकता है, लेकिन इतने पैसे नहीं थे। इंजेक्शन खरीदने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर और सरफराज खान ने भी हृदयांश की जान

फर्जी एन.ओ.सी. से ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले की जांच के लिए एस.आई.टी. गठित

सरकार के आदेश पर बनाई 8 सदस्यों की टीम, जयपुर पुलिस कमिश्नर करेंगे मॉनिटरिंग

जयपुर। फर्जी एन.ओ.सी. से ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी गठन करने के आदेश दिए थे। इस पर जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने एसआईटी का गठन कर दिया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में दर्ज तीनों एफआईआर की जांच एसआईटी करेगी। एसआईटी में 8 पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल को शामिल किया गया है। एसआईटी की जांच की मॉनिटरिंग जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ करेंगे।

जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में हर दिन नए जानकारी टीम के पास आ रही है। इस पर पुलिस टीम के द्वारा काम

किया जा रहा है। इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें जिम्मेदार पुलिस अधिकारी रहेंगे, जो पहले दिन से इस केस पर काम भी कर रहे हैं। एसआईटी में एसीपी गांधी नगर गोपाल सिंह ढाका और एसीपी पुलिस लाइन हेमराज मूंड, 2 पुलिस निरीक्षक हवा सिंह मंगवा और भवानी सिंह, 2 एसआईटी मूल सिंह और धर्मेश कुमार के साथ-साथ 8 कांस्टेबल चैन सिंह और सुभाष चंद्र रहेंगे। इस केस की मॉनिटरिंग जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ करेंगे।

उधर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में गिरफ्तार फॉर्टिस हॉस्पिटल के दो डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी और संदीप

गुप्ता को पुलिस ने रिवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को 15 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा था। गिरफ्तार डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी से हुई पूछताछ में कई चौकाने वाले खुलासे हुए हैं। सामने आया है कि जितेंद्र गोस्वामी एसएमएस अस्पताल के एएओ गौरव सिंह से डायरेक्ट संपर्क में था जब तक वह मणिपाल हॉस्पिटल में रहा, उसने वहां पर कई ट्रांसप्लांट किए थे। आरोपी ने जब फॉर्टिस अस्पताल जाँच किया तो भी गौरव के संपर्क में रहा और हॉस्पिटल के कई स्टाफ को अपने साथ मिला चुका था। जानकार सूत्रों की माने तो पुलिस जल्द ही फॉर्टिस, ईचसीसी और मणिपाल हॉस्पिटल प्रशासन को पूछताछ के लिए बुला सकता है।

स्वेच्छा से अनुपस्थित चल रहे कार्मिकों फर होगी कार्रवाई

जयपुर। प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्वेच्छा से अनुपस्थित चल रहे कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभा सिंह ने बिना सूचना के लम्बे समय से अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुये ऐसे कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिये हैं। सिंह के निर्देशों के बाद निदेशक राकेश कुमार शर्मा ने समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य एवं निर्यंत्रकों, समस्त अधीक्षकों, संयुक्त निदेशक जोन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, प्रमुख चिकित्साधिकारियों सहित सभी नियंत्रण अधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसे कार्मिकों की सूचना मांगी है।

वी.के.आई. में पशु आहार फैक्ट्री में आग

जयपुर । विश्वकर्म थाना इलाके में मंगलवार सुबह एक पशु आहार की फैक्ट्री में आग लग गई। आग की सूचना पर आधा दर्जन से अधिक दमकल मौके पर पहुंची और करीब तीन घंटे में आग पर काबू पाया। आग का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वी.के.आई थाना पुलिस ने बताया कि वी.के.आई रोड नंबर 8 के पास प्रेम मोर्टर्स के नजदीक स्थित पशु आहार की फैक्ट्री में आग लग गई।

पर्यावरण स्वीकृतियां जारी कराने में संबंधित विभागा फेसिलिटेटर की भूमिका निभाएं : पंत

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा है कि जिला स्तरीय समिति से पर्यावरण स्वीकृतियां प्राप्त खानधारकों को राज्य स्तरीय समिति सीमा से पर्यावरण स्वीकृतियां जारी कराने में संबंधित विभागों को फेसिलिटेटर की भूमिका निभानी होगी। उन्होंने माइंस, पर्यावरण, राज्य स्तरीय एंवायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी, डिया से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त खान व क्वारी लाइसेंस धारकों से परस्पर सहयोग व समन्वय से तय समय सीमा में पर्यावरण स्वीकृतियां जारी कराने की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने को कहा है।

मुख्य सचिव सुधांशु पंत मंगलवार को सचिवालय में माइंस, पर्यावरण, सीमा और सेक के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय समिति से पर्यावरण स्वीकृतियां प्राप्त कर व क्वारी लाइसेंस वाली खानों के आवश्यक दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। सीमा द्वारा करीब 12 हजार आवेदनों की स्कूटनिंग का काम कर कर लिया गया है। अब शेष रहे आवेदनों की स्कूटनिंग के काम में तेजी लाने के साथ ही स्कूटनिंग हो चुके आवेदनों के खान धारकों द्वारा फार्म दो



मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने मंगलवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित किया।

का परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। स्कूटनिंग वाली खानों के खानधारक स्वयं या माइंस विभाग के अधिकारियों से समन्वय बनाते हुए अखिलभूखण्ड 2 अपलोड करके राज्य स्तरीय अथॉरिटी द्वारा पर्यावरण स्वीकृतियां जारी हो सके। उन्होंने छोटी मोटी कमियों को पूरा कराने के लिए

अनावश्यक पत्राचार के स्थान पर औपचारिकताओं को सीधे संबंधित से पूरी करने की आवश्यकता प्रतिपादित की। मुख्य सचिव पंत ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल एंवायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति वाले खानधारकों को राज्य

स्तरीय एंवायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी से एक साल में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं। एनजीटी के आवेदनों के अनुसार जिला स्तर से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त इन खान धारकों को राज्य स्तरीय समिति से पर्यावरण स्वीकृति लिया जाना जरूरी है। उन्होंने माइंस विभाग द्वारा करीब 24

माइंस विभाग द्वारा राज्य स्तर पर ऑर्डिनेशन की दो अधिकारियों को जिम्मेदारी

हजार खानों के दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर पूरी करने की सराहना की। उन्होंने कहा कि माइंस प्रदेश की महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि से जुड़ा विभाग है और इसमें लाखां लेज प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में माइंस गतिविधियां निर्बाध जारी रखने के लिए समय पर औपचारिकताएं पूरी कराने राज्य स्तरीय पर्यावरण स्वीकृतियां जारी कराना जरूरी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वन व पर्यावरण अर्पणा अरोड़ा ने बताया कि माइंस व पर्यावरण विभाग द्वारा परस्पर सहयोग से प्राथमिकता से स्कूटनिंग कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीमा द्वारा 12 हजार आवेदनों को वेलिडेटेड कर लिया गया है और संबंधित खान धारकों को परिवेश पोर्टल पर फार्म 2 अपलोड करने को कहा गया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि विभाग द्वारा सहयोगी की भूमिका निभाते हुए वेलिडेशन का कार्य किया जा रहा है।

सार-समाचार

प्रभाशंकर उपाध्याय का सम्मान किया



जयपुर/सवाईमाधोपुर । सुजन साहित्य सेवा संस्थान तथा नोजेग पब्लिक स्कूल श्रीगंगानगर के तत्वावधान में आयोजित सुजन सम्मान समारोह में सवाईमाधोपुर के वरिष्ठ व्यंग्यकार प्रभाशंकर उपाध्याय को रिवार को माता नामदेवी व्यंग्य सुजन सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अन्य विविध विधाओं के लिए अनेक मूर्धन्य साहित्यकारों को भी सम्मानित किया। इन सम्मानों के लिए चार सदस्यीय निर्णायक समिति ने अपने विवेक, अध्ययन और अनुभव के आधार पर साहित्यकारों का चयन करती है। समारोह में मंचाधीश अतिथियों ने प्रभाशंकर उपाध्याय को सम्मान स्वरूप ग्यारह हजार रूपये का चेक, मान-पत्र, शाल आदि प्रदान दिए आदि प्रदान किए। उल्लेखनीय है कि प्रभाशंकर उपाध्याय के चार व्यंग्य संकलन, एक उपन्यास बहेलिया और डायरी लेखन की तर्ज पर 'यादों के दरिचे' नामक संस्मरणकालक पुस्तक है।

रमेश सैनी को स्टेट अचीवमेंट अवॉर्ड



जयपुर । चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दिल्ली शाखा राजस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम टैंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएनएआई) की ओर से अंतरराष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर बिरला ऑडिटोरियम में जनाना हॉस्पिटल ओपीडी प्रभारी रमेश सैनी को राज्य स्तरीय "स्टेट अचीवमेंट अवार्ड 2024" से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान टीएनएआई के नेशनल प्रेसीडेंट डॉ. रॉय के.जॉर्ज, स्टेट चेयरमैन व वाइस प्रेसीडेंट डॉ. जॉर्ज शर्मा एवं राजस्थान नर्सिंग कॉलेज की रजिस्ट्रार सुशी भारती ने प्रदान किया। सैनी गत 28 वर्षों से नर्सिंग सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, सैनी को यह सम्मान नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं को कोरोना जैसी महामारी में मरीजों की सेवा करने, कोविड टीकाकरण अभियान और नर्सिंग क्षेत्र में अच्छा मैनेजमेंट किये जाने पर दिया गया। कार्यक्रम में नर्सिंग कॉलेज से डॉ. जगदीप सैनी, एसएमएस से हेमराज गुप्ता, राजकुमार राजपाल, मानसिक हॉस्पिटल से रविन्द्र सैनी एवं गणगौरी हॉस्पिटल ओएमप्रकाश को भी सम्मानित किया गया।

निःशुल्क समर कैंप का आगाज

जयपुर । सीकर रोड स्थित मनीष पब्लिक स्कूल जोड़ला पर ग्रीष्मकालीन निःशुल्क समर कैंप का शुभारंभ हरिओम जन सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष पंकज गोयल, जयपुर ग्रेटर नगर निगम के चेयरमैन नरेंद्र सिंह शेखावत और समाजसेवी संजय मेठी ने सरस्वती माता के दीप प्रज्वलित करके किया। पंकज गोयल ने बताया कि बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप में जरूर जाना चाहिए इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है । संस्था की डायरेक्टर प्रिया सिन्हा ने बताया कि जयपुर में 11 स्थानों पर निःशुल्क समर कैंप लगाए जा रहे हैं। शिबिर में सिलाई, मेहंदी, आर्ट एंड क्राफ्ट, ब्यूटीशियन कोर्स ,डांस, हैडरार्टिंग, इंग्लिश स्पोकन, सेल्फ डिफेंस आदि का प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में महावीर सिंह निठारवाल डायरेक्टर मनीष पब्लिक स्कूल, डायरेक्टर प्रिया सिन्हा, उपाध्यक्ष राज शर्मा, कोषाध्यक्ष मीरा गोयल, उपासना चौहान, राजकुमार अग्रवाल, सुनील चौधरी, वंशिका चौहान, चंचल गोयल, सुमन सैनी, रेहान, एकता कंवर व सैकड़ों विद्यार्थी व अधिाध्यक्ष मौजूद रहे।

दो रेस्टोरेंट्स पर खाद्य टीम की छापेमारी

जयपुर । मिलावट को रोकने के लिए शुरू किए गए विशेष अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को जयपुर में अजमेर रोड स्थित दो प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉ. हंसराज भदालिया ने बताया कि अजमेर रोड स्थित मैसर्स पिक पर्व (चोखा पंजाब) में निरीक्षण कर कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान फूड लाइसेंस डिस्पले नहीं होना पाया गया। हाईजीन, सैनिटेशन की स्थिति अच्छी नहीं होने के साथ ही यहां कार्यरत वर्कर्स का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था। साथ ही यहां वाटर टैरिस्टिंग और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। इन सभी कमियों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया तथा मौके से पनीर, गुलाब जामुन, दही, सोयाबीन अलिका और पेस्ट कंट्रोल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होना पाया गया। साथ ही यहां वाटर टैरिस्टिंग और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। इन सभी कमियों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया तथा मौके से पनीर, गुलाब जामुन, दही, सोयाबीन अलिका और पेस्ट कंट्रोल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होना पाया गया। साथ ही यहां वाटर टैरिस्टिंग और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। इन सभी कमियों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया तथा मौके से पनीर, गुलाब जामुन, दही, सोयाबीन अलिका और पेस्ट कंट्रोल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होना पाया गया। साथ ही यहां वाटर टैरिस्टिंग और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। इन सभी कमियों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया तथा मौके से पनीर, गुलाब जामुन, दही, सोयाबीन अलिका और पेस्ट कंट्रोल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होना पाया गया। साथ ही यहां वाटर टैरिस्टिंग और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। इन सभी कमियों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया तथा मौके से पनीर, गुलाब जामुन, दही, सोयाबीन अलिका और पेस्ट कंट्रोल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होना पाया गया। साथ ही यहां वाटर टैरिस्टिंग और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। इन सभी कमियों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया तथा मौके से पनीर, गुलाब जामुन, दही, सोयाबीन अलिका और पेस्ट कंट्रोल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होना पाया गया। साथ ही यहां वाटर टैरिस्टिंग और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। इन सभी कमियों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया तथा मौके से पनीर, गुलाब जामुन, दही, सोयाबीन अलिका और पेस्ट कंट्रोल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होना पाया गया। साथ ही यहां वाटर टैरिस्टिंग और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। इन सभी कमियों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया तथा मौके से पनीर, गुलाब जामुन, दही, सोयाबीन अलिका और पेस्ट कंट्रोल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होना पाया गया। साथ ही यहां वाटर टैरिस्टिंग और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। इन सभी कमियों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया तथा मौके से पनीर, गुलाब जामुन, दही, सोयाबीन अलिका और पेस्ट कंट्रोल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होना पाया गया। साथ ही यहां वाटर टैरिस्टिंग और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। इन सभी कमियों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया तथा मौके से पनीर, गुलाब जामुन, दही, सोयाबीन अलिका और पेस्ट कंट्रोल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होना पाया गया। साथ ही यहां वाटर टैरिस्टिंग और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। इन सभी कमियों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया तथा मौके से पनीर, गुलाब जामुन, दही, सोयाबीन अलिका और पेस्ट कंट्रोल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होना पाया गया। साथ ही यहां वाटर टैरिस्टिंग और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। इन सभी कमियों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया तथा मौके से पनीर, गुलाब जामुन, दही, सोयाबीन अलिका और पेस्ट कंट्रोल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होना पाया गया। साथ ही यहां वाटर टैरिस्टिंग और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। इन सभी कमियों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया तथा मौके से पनीर, गुलाब जामुन, दही, सोयाबीन अलिका और पेस्ट कंट्रोल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होना पाया गया। साथ ही यहां वाटर टैरिस्टिंग और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। इन सभी कमियों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया तथा मौके से पनीर, गुलाब जामुन, दही, सोयाबीन अलिका और पेस्ट कंट्रोल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होना पाया गया। साथ ही यहां वाटर टैरिस्टिंग और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। इन सभी कमियों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया तथा मौके से पनीर, गुलाब जामुन, दही, सोयाबीन अलिका और पेस्ट कंट्रोल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होना पाया गया। साथ ही यहां वाटर टैरिस्टिंग और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। इन सभी कमियों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया तथा मौके से पनीर, गुलाब जामुन, दही, सोयाबीन अलिका और पेस्ट कंट्रोल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होना पाया गया। साथ ही यहां वाटर टैरिस्टिंग और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। इन सभी कमियों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया तथा मौके से पनीर, गुलाब जामुन, दही, सोयाबीन अलिका और पेस्ट कंट्रोल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होना पाया गया। साथ ही यहां वाटर टैरिस्टिंग और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। इन सभी कमियों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया तथा मौके से पनीर, गुलाब जामुन, दही, सोयाबीन अलिका और पेस्ट कंट्रोल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होना पाया गया। साथ ही यहां वाटर टैरिस्टिंग और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। इन सभी कमियों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया तथा मौके से पनीर, गुलाब जामुन, दही, सोयाबीन अलिका और पेस्ट कंट्रोल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होना पाया गया। साथ ही यहां वाटर टैरिस्टिंग और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। इन सभी कमियों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया तथा मौके से पनीर, गुलाब जामुन, दही, सोयाबीन अलिका और पेस्ट कंट्रोल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होना पाया गया। साथ ही यहां वाटर टैरिस्टिंग और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। इन सभी कमियों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया तथा मौके से पनीर, गुलाब जामुन, दही, सोयाबीन अलिका और पेस्ट कंट्रोल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होना पाया गया। साथ ही यहां वाटर टैरिस्टिंग और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। इन सभी कमियों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया तथा मौके से पनीर, गुलाब जामुन, दही, सोयाबीन अलिका और पेस्ट कंट्रोल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होना पाया गया। साथ ही यहां वाटर